www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-7* *July 2025***

अंसगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० रश्मि पाण्डेय

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात

सारांश

असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों एवं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिक तथा उन व्यवसायों से संबंधित बाल श्रमिकों के प्रकारों के अन्तर्गत अपने व्यवसायों को किस तरह एक–दूसरे से अनुकरण करना एवं उन व्यवसायों में रूचि रखते हुये उनका किस तरह से प्रचार करते हैं व बालश्रम को प्रेरित करने वाले कारक से संबंधित जानकारी एवं व्यवसायों में कार्यरत् कितने घण्टे का समय बाल श्रमिकों द्वारा किया जाता है, आदि सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत अध्ययन द्वारा ज्ञात की गई है। विश्व के अधिकांश देशों में स्थायी रहने वाले असंगठित बाल श्रमिकों की आवृत्ति चलते फिरते बाल श्रमिकों की तुलना में काफी अधि ाक है। स्थायी असंगठित बाल श्रमिकों से तात्पर्य है विभिन्न दुकानों पर, ठेलों पर आदि, चलते–फिरते बाल श्रमिकों से तात्पर्य है, रेलवे स्टेशनों, फुटपाथों, बस स्टैण्डों आदि पर कार्यरत बाल श्रमिक हैं, लेकिन विस्थापितों की आवृत्ति तेजी से बढ़ने के कारण सड़कों पर रहने वाले बच्चों की आवृत्ति भी तीव्रगति से बढ़ रही है।' भूमण्डलीयकरण के नाम से किए जा रहे साम्राज्यवादी बाजार के फैलाव के कारण विज्ञापन एजेंसियों में कार्यरत् अपेक्षाकृत अच्छे खाते–पीते परिवारों से आने जाने वाले बाल श्रमिकों की आवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रकार के बाल श्रमिकों की जिंदगी सामाजिक स्थिति, आय, सोच आदि सब कुछ अन्य प्रकार के बाल श्रमिकों से बिल्कुल अलग है। बाल श्रमिकों का यह असंगठित समूह यद्यपि बहुत व्यापक है जो साम्राज्यवादी बाजार का एक हिस्सा बन चुका है परंतु आठवीं से चौदहवीं शताब्दी के मध्य बालश्रम का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे–कृषि, उद्योग धन्धे तथा कल कारखानों में हो रहा था परन्तु वर्तमान समय में यह एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में चुनौती के रूप में सामाजिक स्तर पर दिखाई देता है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत ''अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट'' के अनुसार संपूर्ण विश्व में 10 करोड़ से भी अधिक बालश्रमिकों को कठिन कार्य में लगा हुआ पाया गया है, यह आवृत्ति वास्तविक रूप से दुगुनी भी हो सकती है, भारत में कार्य करने वाले बच्चों की आवृत्ति 1.65 करोड़ से 1.75 करोड़ के बीच अनुमानित है और लगभग 40 लाख बाल श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अनुमानतः इस शताब्दी के अन्त तक बाल श्रमिकों की आवृत्ति 10 करोड़ हो जायेगी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व के कुल बाल श्रमिकों का 25 प्रतिशत और एशिया के कुल बाल श्रमिकों को 33 प्रतिशत भारत में है।

प्रस्तावना

यद्यपि अर्थ के लालच में बालक श्रम करते हैं, किन्तु मंहगाई, बेकारी, गरीबी, जन आवृत्ति वृद्धि ने इतना विकराल स्वरूप धारण कर लिया है कि अपने माता–पिता का ही नहीं अपितु अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिये असमय अस्वाभाविक उम्र में अनिच्छापूर्वक श्रम बाजार में इन्हें जाना पड़ता है। इन्साइक्लोपीड़िया ऑफ सोशल साइसेंज के अनुसार गरीबी और पुरानी परम्पराएँ दोनों एक–दूसरे के पूरक है जिससे बाल श्रमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। असमाजिक वैवाहिक गठबन्धन भी इन परिवारों के बालकों को वैतनिक कार्यों की ओर एक स्वाभाविक स्वरूप प्रदान करते हुए ले जाता है। अतः बालकों का श्रम, बाजार में प्रवेश, परिवार का कर्ज,

माता–पिता की अशिक्षा और शिक्षा की उपयोगिता आदि पर लगे वैचारिक प्रश्नचिन्ह इन मासूम बच्चों को स्कूली वातावरण से पृथक्कता प्रदान करते हुए इस ओर असमय प्रवेश के लिए प्रेरित करते है।

व्यवसायों के आधार पर बाल श्रमिकों के प्रकार

संगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकः जो बाल श्रमिक कारखानों, लोहा, कोयले की खदानों पर कार्य करते हैं, उन्हें संगठित क्षेत्र के बाल श्रमिकों के रूप में जाना जाता है, चूंकि कारखानों और खदानों में असुरक्षित मशीनों का उपयोग होता है, इसलिये बाल श्रमिकों का जीवन हर समय खतरे में रहता है। कारखानों और खदानों का पर्यावरण प्रदूषित होने से यहां काम करने वाले बच्चे जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यद्यपि बाल श्रमिकों को असुरक्षित कार्य से निकालने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाये गये है लेकिन बाल श्रमिकों के पुर्नवास व्यवस्था न होने से कानून पर अमल नहीं हो पा रहा है। सर्वप्रथम बाल श्रम रोकने के लिये कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेना प्रतिबंधित किया गया था, इसके अतिरिक्त एक ही दिन में दो कारखानों में काम करने और उससे अधिक घण्टे काम लेने पर भी रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। अधिनियम में साप्ताहिक अवकाश की भी व्यवस्था की गई थी, परंतु यह कानून उन कारखानों में ही लागू हो पाया जहाँ 100 या 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते थे, इस अधिनियम के बाद भी राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर पर भी कई अधिनियम भी अस्तिव में आये जो बालश्रम अधिनियम को विनियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने या सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित थे विभिन्न कानूनों में बाल श्रमिकों की उम्र सेवा शर्ते एवं सुरक्षा का निर्धारण अलग–अलग किया गया। खदानों और कारखानों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों की गिनती संगठित क्षेत्र में होने के कारण इन बाल श्रमिकों का सम्पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है, क्योंकि शोध का क्षेत्र मात्र असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले बालश्रमिक ही हैं, इसलिये संगठित का संपूर्ण विवरण नहीं दिया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकः प्रस्तुत अध्ययन में असंगठित क्षेत्र वह माना गया हैं, जिसमें वे सभी उत्पादक कियाकलाप सम्मिलित हैं, जो ढ़ीले बने समूहों, जिसमें व्यवसाय की प्रकृति अनियमित है अर्थात् सूचनाओं का अभाव, लिखित दस्तावेजों का अभाव, श्रम संगठनों का न होना, नियमित नियोक्ता सेवक संबंधों का न होना आदि कारक सम्मिलित हैं, जो विविध प्रकार के अनियमित कार्यकारी अनुबंधों से बंधे है अतः अध्ययन में स्वरोजगार में संलिप्त, वेतन कमाने वाले परिवार में होने वाले कार्य में संलग्न तथा घरों में कार्य करने वाले श्रमिक सम्मिलित हैं। इस अध्ययन में उन बच्चों को सम्मिलिति किया गया हैं जो असंगठित क्षेत्र में किसी कार्य में संलग्न हैं, चाहे एक कामगार के रूप में उसे वेतन मिलता हो या एक स्वरोजगार में लगा हो। असंगठित क्षेत्र का आकार पिछले कुछ दशकों में तेजी से बड़ा है, 1971 में इस क्षेत्र में सम्पूर्ण श्रमिकों का 89 प्रतिशत कार्यरत हैं, तो 1995 में बढ़कर 92.5 प्रतिशत हो गया। श्रम तथा आर्थिक विकास से संबंधित साहित्य में दो, अवधारणायें सर्वाधिक प्रचलित है। अनियमित क्षेत्र की अवधारण तीसरी दुनिया में प्रचलित है, जबकि असंगठित क्षेत्र का प्रचलन केवल भारत में है यहाँ तक कि भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस अवधारणा का लगातार प्रयोग किया जाता है, यह विदित है कि भारत में दुनिया के सर्वाधिक कार्यशील बच्चे असंग्रहित क्षेत्र में कार्यरत है।

प्रस्तुत अध्ययन असंगठित क्षेत्रों में प्रेरणा स्त्रोत कारकों का अध्ययन है। इसके अन्तर्गत ऐसे बाल श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें श्रम कार्य करने के लिए, पारिवारिक सदस्य रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, आदि के द्वारा प्रेरित किया गया है। शहरीकरण के कारण भूमिहीन व गरीब किसान तथा आदिवासी समूहों के लोग अधिक प्रभावित हुए है जिनकी पुस्तैनी खेती, धन्धे, साम्राज्यवादी विकास के कारण समाप्त होने लगे हैं, इस शहरीकरण की प्रक्रिया में कही कारखाने खोलने, कहीं बांध बनाने तो कही शहरों का विस्तार करने के वहाने भूमिहीन व गरीब किसानों को अकुशल औद्योगिक मजदूर बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इन भूमिहीन व गरीब परिवार के भी महिला एवं बच्चे अपनी सस्ती कीमत के कारण शहरीकरण से अधिक प्रभावित हुए है। बालश्रम के लिये प्रेरित करने वाले विभिन्न कारकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। परिवार के सदस्यः मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार के सदस्यों द्वारा किये जा रहे कार्य व्यवहार का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है आर्थिक संकट या अन्य कारणों को लेकर माता–पिता के बीच झगड़े, शाम को पिता का शराब पीकर आना और पत्नी के साथ तथा अन्य परिवारिक सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है जिससे बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं व परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा

जाती है। आसपास के आसामाजिक तत्व भी इसका गलत लाभ उठाते हैं और बाल श्रमिकों को पैसों का लालच देकर काम पर लगा देते हैं, इस तरह मासूम बच्चों का भविष्य नष्ट होने की शुरूआत हो जाती है। परिवार के सदस्य ही बच्चों को बालश्रम के लिये बाध्य कर देते हैं।

रिश्तेदारों एवं पडोसियों द्वारा प्रेरितः शोध अध्ययन के दौरान सामने आया है कि बाल श्रमिकों को काम पर भेजने में रिश्तेदारों की अहम भूमिका होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर रिश्तेदार मदद् तो नहीं करते, बल्कि उल्टे स्कूल में जाने योग्य बच्चों को बालश्रम में लगने के लिये प्रोत्साहित करते है। कई बच्चे तो रिश्तेदारों के साथ की काम पर जाने लगे है। रिश्तेदारों की तरह पड़ोसी भी बाल श्रमिकों को काम पर जाने के लिए प्रेरणा स्रोत कारकों के रूप में कार्य करते है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर बच्चों को बालश्रम के लिये तैयार कर लेते हैं, इस प्रकार बाल श्रमिक स्कूल जाने की उम्र में काम में लगकर अपना भविष्य नष्ट कर लेते हैं, चूँकि अधिकतर परिवार अशिक्षित हैं, इसलिये वे बालश्रम के दुष्परिणामों को समझ नहीं पाते है।

मालिक एवं दलालों द्वारा बालश्रम के लिये प्रेरित होनाः लालची दलाल और मालिक भी बालश्रम को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। दलाल किस्म के लोग मजबूर परिवार के प्रति झूठी सहानुभूति प्रदर्शित कर बच्चे को बालश्रम में लगाने के लिए तैयार कर लेते है। इससे उन्हें कमीशन के रूप में धनराशि मिलती है और एक मासूम जिन्दगी नष्ट हो जाती है, दूसरी ओर मालिक भी दुकानों, होटलों, ढाबों और गैरिजों पर बाल श्रमिकों को रखना ही अधिक पसंद करते है, इसका मुख्य कारण बच्चों से मनमाने समय तक काम लिया जा सकता है और वयस्क मजदूर की अपेक्षा बाल श्रमिक को मजदूरी की काफी कम देनी पड़ती है, इसके अतिरिक्त भी बाल श्रमिकों पर मालिक का पूरा नियंत्रण रहता है। स्वयं की इच्छा और मित्रों का प्रभावः आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय बढ़ाने के लिये कुछ बच्चे मजबूरीवश और स्वयं की इच्छा के कारण बालश्रम करते हैं, चूँकि आर्थिक संकट के रहते बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिये अभिभावक भी उन्हें बालश्रम के लिये प्रेरित करते हैं। बच्चों के मन पर मित्रों का भी प्रभाव पड़ता है, पहले से काम कर रहे बच्चों के पास जरूरत की चीजें होने के कारण सभी बच्चे भी बालश्रम के लिये प्रेरित होते हैं और अपने मित्रों के साथ भी काम करने का मन बना लेते हैं।

परिस्थितियों से प्रभावित बाल श्रमिकः बच्चे को बालश्रम करने के लिये परिस्थितियाँ बाध्य कर देती है। बड़ी आवृत्ति में बाल श्रमिक आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिस्थितियों के चलते बालश्रम के लिये बाध्य ही जाते है। इस दौरान उनकी पढ़ाई–लिखाई प्रभावित होने से उनका मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है और वे अपना भविष्य दाव पर लगा बैठते हैं। बच्चों को बालश्रम के लिये बाध्य करने वाली प्रमुख परिस्थितियों निम्नवत हैं –

निर्धनता : जिले में 20 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले है। परिवार में सदस्यों की आवृत्ति अधिक और आर्थिक आय कम होने के कारण परिवारों के सामने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और पालन–पोषण की समस्या है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य अतिरिक्त आर्थिक आय के लिये बच्चों को स्कूल जाने की बजाय बालश्रम करने के लिये मजबूर कर देते है।

बेरोजगारीः चम्बल एवं यमुना सहित कई नदियों के बेहड़ में बसे औरैया जनपद को पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहां ना तो बाजार और न ही कुटीर और गृह उद्योग विकसित हो पाये हैं इसलिये जिले में रोजगार का अभाव है। बड़ी आवृत्ति में लोगों को काम मिल पाता, इसलिये उनकी आर्थिक आय कमजोर हो जाती है, बहुत बढ़ी आवृत्ति में श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी भी नहीं दी जाती, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और परिवार बच्चों को मजदूरी पर भेजने के लिये मजबूर हो जाते है। पूँजी एवं भूमि का असमान वितरणः जिले में पूँजी और भूमिका असमान विस्तार भी बालश्रम को बढ़ावा दे रहा है। शहर में कई लोग पूँजीपति हैं तो हजारों की आवृत्ति में लोग दो वक्त की रोटी जुटाने के लिये संघर्ष कर रहे है। स्पष्ट है कि पूँजी में असमानता अति गरीब परिवारों को बालश्रम के लिये मजबूर कर रही है इसी तरह गांव की ओर देखे तो कुछ लोगों के पास पर्याप्त भूमि होती है जिस पर वे खेती करके आसानी से अपना जीवनयापन कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर बड़ी आवृत्ति में ऐसे गरीब परिवार भी है जो भूमिहीन हैं, जो दूसरों की खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इन गरीब परिवारों के बच्चे भी अपने माता–पिता के साथ खेतों में काम करने को मजबूर हो जाते है।

शिक्षा का अभावः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में भी बाल श्रमिकों की आवृत्ति दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ वे शासकीय स्कूल है जहाँ पर शिक्षा का कोई स्तर नहीं हैं, रोजगारमूलक शिक्षा न मिलने से बच्चों

के सामने श्रम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचता, गांव के स्कूलों में तो बच्चे दर्ज जरूर होते है लेकिन विद्यालय आते नहीं है, चूँकि इन बच्चों के माता–पिता प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस भरने में सक्षम नहीं होते इसलिये वे बच्चों को या तो किसी दुकान पर लगा देते है, अथवा अपने साथ ही खेतों पर काम कराने लगते हैं।

कुटीर उद्योगों का पतनः पहले बच्चे घरेलू कुटीर उद्योगों में हाथ बटाया करते थे किन्तु जबसे कुटीर उद्योगों का पतन हुआ अधिकांश निर्धन माता–पिता अपने बच्चों सहित शहरों में चले गए हैं उदाहरण के लिये कृषि के समय धान बोआई करके वे अन्य शहरों में जाकर काम करते है, फिर धान काटने के समय घर लौट आते हैं। तीज, त्यौहार, दीपावली, होली और गर्मियों में, शादियों के मौसम में, बसों में भारी भीड़ इन श्रमिकों और उनके बच्चों की होती है। कारखाना प्रणाली पनपने के कारण बच्चे घर के अन्य लोगो जाने और जो काम मिला उसे करने को मजबूर हो जाते है। उद्योगपतियों को लाभः उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से बच्चों को रोजगार देने में बहुत लाभ होता है, क्योंकि वे इन बच्चों पर अधिक काम और कम मजदूरी का सिद्धांत लागू करते हैं, इन बच्चों को आसानी से अनुशासन में रखते हैं, ये बच्चे जवाब भी नहीं देते, वेतन काटने पर भी कुछ नहीं बोलते, नौकरी से भी इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, इन बच्चों का कोई संगठन नहीं होता है जो इनके लिए आवाज उठाये, साथ ही ये अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं रहते जितनी दिया उतना ठीक है, मान लेते हैं। कई बच्चों को तो कई महीनों तक काम सिखाने के नाम से मालिक द्वारा पैसा नहीं दिया जाता उदाहरण गोवर्धन उम्र 13 वर्ष साइकिल दुकान में काम करता है, उससे पूछा गया तुम्हें कितनी वेतन मिलता है, बच्चे ने कहा सरजी अभी दो महीने से मैं फ्री में काम सीख रहा हूँ, काम सीखने के बाद मजदूरी देंगे। इन बच्चों को सौदा करना, मोल–भाव करना नहीं आता, किसी ने 5 रूपये काम के दिये किसी ने दस रूपये बस इतने में खुश हो जाते हैं। मालिकों, उद्योगपतियों व व्यवसायियों को लाभ होता है वे थोड़ा पैसा देकर अधिक उत्पादन करवाते हैं।'

नियमों में शिथिलताः भारत में बाल श्रमिकों को रोजगार पर रखने पर अनेक प्रतिबंध तो है किन्तु उनका कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। सरकारी और गैर–सरकारी तौर पर किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि माचिस तथा पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री, कानून तथा श्रम कानूनों का उल्लघंन किया जाता है। अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 8 से 10 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के आयु संबंधी झूठे प्रमाण–पत्र उपलब्ध रहते हैं, जिनमें 15 वर्ष से अधिक आयु दिखायी जाती है इतना ही नहीं इन अधिनियमों से बचने के लिए रिश्वत देने जैसे भ्रष्ट तरीके भी अपनाये जाते हैं। यही कारण है कि आज भी अवैध रूप से रोजगार में अनेक बच्चे काम कर रहे हैं। माता–पिता की अशिक्षत होनाः बालश्रम के लिए उत्तरदायी एक बड़ा कारण यह भी है कि माता–पिता अशिक्षित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अब देश में साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत हो पाई है जिसमें महिला साक्षरता मात्र 54.16 प्रतिशत है। अशिक्षित अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते है, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका पूरा ध्यान बच्चों सहित रोजी–रोटी कमाने में लगा रहता है। पेट की भूख विकास से सारे बंद कर देती है। उन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए इसका ध्यान भी नहीं रहता।

विद्यालय का भयप्रद वातावरणः भारत में निर्धन वर्ग के बच्चे जब किसी तरह स्कूल जाने के लिये प्रवेश पा भी लेते हैं तो स्कूल के भयप्रद वातावरण के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। एक अनुमान के अनुसार कक्षा–1 में नामाकिंत होने वाले 100 में से 40 बच्चे ही कक्षा पाँचवीं तक पहुँच पाते हैं। कक्षा आठवीं तक तो यह संख्या 20 रह जाती है। कुल मिलाकर घर का वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल नहीं रहता है। माता–पिता गरीबी के कारण सुबह काम पर निकल जाते हैं। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कहते हैं और इधर–उधर घूमते व मछली पकड़ते, कोयला उठाते, ट्रेनों में झाड़ू लगाते, जूता पालिश करते दिखाई देते हैं। शायद स्कूल में होमवर्क पूरा करने का डर रहता होगा, उन्हें ठीक से हिन्दी बोलनी भी नहीं आती है साथ ही शुरू में गंदी बस्तियों में रहने कारण बीच–बीच में गाली देना आम बात होती है। बाल श्रमिक विद्यालय द्वारा बहुत मेहनत कर के इनको योग्य बनाने की कोशिश की जाती है किन्तु अधिकांश बच्चे फिर भी शिक्षा से वंचित हो जाते है।

व्यवसायिक शिक्षा का अभावः भारत जैसे देश में व्यवसायिक शिक्षा का अभाव है, अभिभावकों को विश्वास दिलाने वाली शिक्षा नहीं है उनको विश्वास नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर किसी अच्छी नौकरी में जायेंगे, अच्छे नागरिक बनेगें। शिक्षा से ही उनके बच्चे का भविष्य बनेगा, यह समझाना उनको बहुत कठिन है।

संविधान 45 के अनुसार, ''संविधान लागू होने के दस वर्षों के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी थी लेकिन 79 वर्षों के बाद भी यह सपना बना हुआ है। भारत में दी जाने

वाली शिक्षा रोजगारपरक नहीं है।''

बाल श्रमिक माता–पिता के साथ ही रहते हैं इन परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्याधिक निम्न होने, माता–पिता का स्वास्थ्य खराब होने, और आय का कोई दूसरा स्रोत न होने के कारण बच्चों को श्रमकार्य करना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जीवन निर्वाह के साथ साथ शिक्षा का भी अर्जन कर रहे है। फीस, कॉपी, किताब आदि का खर्चा वह स्वयं वहन करते हैं भले ही इसके लिये उन्हें गाँव से शहर की ओर काम करने के लिये क्यों न आना पड़े। शहर में दिनभर श्रम करने के बाद शाम को पुनः वापस अपने गाँव लौट जाते हैं।

शोध के दौरान यह भी सामने आया है कि जब तक इन बच्चों को पैसे की आवश्यकता नहीं होती है वे गाँव में रहकर ही पढ़ते हैं, पैसे की जरूरत होने पर शहर में आकर मजदूरी कर लेते है। सर्वेक्षण के दौरान 7.7 प्रतिशत बाल श्रमिकों ने बताया कि परिवार में उनके माता–पिता अलग रहने के कारण परिवार की आय बढ़ाने के लिये काम करते है बाल श्रमिक ऐसे हैं, जिसमें माता–पिता दोनों की मृत्यु होने के कारण उन्हें अपने रिश्तेदार एवं संरक्षकों के यहाँ रहकर जीवनयापन करना पड़ता है। बाल श्रमिकों ने शोध अध्ययन के दौरान बताया कि उनके माता–पिता अलग अलग रहते हैं इनमें से तीन माताओं ने घर छोड़ दिया है, वे बच्चों के साथ नहीं रहती ऐसी स्थिति में बच्चे अपने पिता के साथ रहते हुए कार्य करते हैं जबकि चार परिवार में पिता घर छोड़कर चले गये हैं, इस वजह से परिवार में बढ़ती जिम्मेदारी के कारण बच्चे अपनी माता का सहयोग करते हुए श्रम कार्य से जुड़े है। माता–पिता के पृथक होने का कारण दोनों के बीच वैचारिक मतभेद एवं आर्थिक तंगी भी बताया गया है। समय–समय पर माता–पिता बच्चों से मिलने आते जाते भी रहते हैं। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी में उनका विशेष योगदान नहीं है। 05 बाल श्रमिकों ने बताया कि उनके माता–पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है, वह बालक माता एवं पिता के इस व्यवहार से काफी असंतुष्ट भी है। इस बच्चों ने संकल्प लिया है कि वे कठोर परिश्रम करके परिवार का पूर्ण सहयोग करेंगे, तथा छोटे भाई–बहनों के पालन–पोषण में मदद करेंगे। सर्वे के दौरान 08 बाल श्रमिकों ने बताया कि उनके पिता ने वैचारिक मतभेद के चलते माता का परित्याग कर दिया है, बच्चे माता के साथ ही रहते हैं। पिता परिवार में बच्चों एवं पत्नी को त्यागकर अन्य स्थानों पर चले गये हैं, कुछ ने सन्यास धारण कर लिया है, जबकि कुछ के पिता दर–दर भीख मांगने लगे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि परिवार की जिम्मेदारी को नजर अंदाज कर पिता घर से बाहर रहने लगे हैं। पिता परिवार का मुखिया होता है, परिवार को जोड़ने की इकाई भी उसे माना जाता है, जब वह स्वयं ही परिवार को छोड़कर चला जाये तो ऐसे परिवार विघटित परिवार की श्रेणी में आते हैं ऐसी स्थितियों आश्रित बच्चों के जीवनयापन में परिवर्तन ला देती है। बच्चों का भविष्य अनिश्चित्ता की ओर बढ़ जाता है, कुछ बच्चे दर–दर भटक कर अच्छे भी बन जाते हैं तो बहुत से समाज के विरूद्ध भी खड़े हो जाते हैं, यह बच्चे की माता के व्यवहार अथवा उन कठिन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिन परिस्थितियों में बच्चों को रहना पड़ता है।''

दूसरे विवाह की स्थिति : बाल श्रमिकों के परिवार रचना के आधार पर माता–पिता के दूसरे विवाह की स्थिति को देखा गया है जिसमे 5 परिवार ऐसे पाये गये है जिन्होंने दूसरा विवाह कर लिया हैं। शोध अध्ययन के दौरान बाल श्रमिकों की दिनचर्या का अध्ययन करने के बाद पता पाया कि 5 परिवार ऐसे हैं, जिनके बच्चे पिता के साथ रहकर बालश्रम को अपनाये हुए हैं, घर में भी के न होने से बच्चे की देखभाल नहीं हो पाती, इसीलिये बच्चों को साथ रहना पिता की मजदूरी हो जाती है। धीरे–धीरे बच्चा भी पिता के काम में हाथ बटाने लगता है। अध्ययन के दौरान 4 परिवारों में से तीन ऐसे मिले जिनकी माताएँ परिवार में आर्थिक तंगी के चलते अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली गई जबकि 1 परिवारों में माता ने आर्थिक तंगी विचार विविधता के चलते बच्चों को छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया और दूसरे पति के साथ रहने लगी, माता द्वारा बच्चों का परित्याग कर दूसरे पति को अपनाने के कारण पहले परिवार की व्यवस्थायें बिगड़ गई। परिवारिक व्यवस्थायें पुनः सुधारने के लिये तथा बच्चों की देखभाल के लिये पिताओं को दूसरा विवाह करना पड़ा है, परन्तु सौतेली माँ का बच्चों के साथ व्यवहार न होने से एवं पिता के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाने से बच्चों को बाल श्रम के लिये मजबूर होना पड़ा है ऐसे बच्चें स्कूल से भी दूर हो गये हैं। कार्य स्थल और घर में अनुकूलन माहौल न मिलने से बड़ी आवृत्ति में बच्चे बिगड़ गये हैं उनमें गलत आदतों का समावेश हो गया है। 1 प्रतिशत ऐसी मातायें सामने आयी जिन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है, चूँकि वैचारिक मतभेद अथवा किसी अन्य कारण से पिता परिवार को छोड़कर चले गये हैं। पिता के अचानक घर छोड़ने से परिवारिक जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। बच्चों का जीवनयापन करने के लिये माताओं ने दूसरा विवाह किया, चूँकि सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा न होने से बच्चों

को बाल श्रम पर जाने के लिये मजबूर होना पड़ा है। शोध अध्ययन के दौरान स्पष्ट हुआ है कि पारिवारिक विघटन एवं गरीबी बाल श्रम के कारणों में से सबसे बड़ा कारण है।''

विवाह के पूर्व एवं पश्चात संतान : विवाह के पूर्व एवं पश्चात की संतानों का विवरण एवं बच्चों के साथ सौतेले माता एवं पिता का व्यवहार दूसरा विवाह कर पूर्वपत्नी से जन्म लिया बच्चों को भी अपने ही साथ रख लिया है अथवा पत्नी बच्चों को छोड़कर चली गई है, ऐसी स्थिति में पिता जब रोजगार की तलाश में शहर से बाहर चले जाते हैं तो उसकी सौतेली माताएँ बच्चों को प्रताड़ित करती है एवं स्कूल न भेजकर उन्हें श्रम कार्य के लिये मजबूर करती हैं, कभी कभी पिता की अनुपस्थिति में बच्चों को पैसे कमाकर न लाने पर घर से भी भगा देती है। मजबूर होकर बच्चों को अपना जीवन यापन करने के लिये श्रमकार्य करना पड़ता है। माता के परित्याग करने पिता के ध्यान न देने और सौतेली माता के दुर्व्यवहार से मानसिक रूप से न सिर्फ कमजोर हो जाते है, बल्कि बुरी संगत में पड़कर उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है इसलिये वे उदर पूर्ति के लिए बाल श्रम करने को मजबूर हैं।

बालश्रम के लिए जिम्मेदार कारण–

कुछ आधार ऐसे है जो बालश्रम के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे–ईश्वरीय प्रकोप, माता–पिता की मृत्यु धार्मिक शिक्षा, धर्मान्धता यह कुछ ऐसे कारण हैं जो बालश्रम करने के लिये बाध्य करते है।'' बाल श्रमिक अपनी दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर धर्म को जिम्मेदार मानते हैं। 7 प्रतिशत बच्चों का कहना है कि ईश्वरीय प्रकोप से ही उन्हें धनाड्य परिवारों में जन्म नहीं मिला परिणामतः उन्हें निम्न आर्थिक स्थिति के चलते ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाल श्रम में लगना पड़ा कुछ बाल श्रमिकों के माता–पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बाल श्रमिक अपनी ही दुर्दशा के लिये धर्म को दोषी मानते हैं क्योंकि उनका विचार है कि यदि ईश्वर उनसे नाराज न होते न माता–पिता की मृत्यु होती और न ही उन्हें बाल श्रम के लिये बाध्य होना पड़ता। इसलिए परिवार नियोजन को भी अपनाने से कराते है। बच्चों के जन्म की गति जिस दर से बढ़ रही है उससे जन आवृत्ति में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, आय के साधन घटने से बेरोजगारों की आवृत्ति बढ़ रही है। बच्चों में तकनीकी शिक्षा के भाव के चलते बालश्रम को बढ़ावा मिल रहा है कुछ बाल श्रमिक ऐसे भी है, जो बालश्रम के लिए धर्म को ही दोषी मानते हैं, इन बच्चों का कहना है कि उन्हें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त कोई रोजगार जनक शिक्षा मिली होती, तो वे अपने पैरो पर खड़े होकर नौकरी हासिल कर सकते थे, लेकिन उनके माता–पिता द्वारा बचपन में धार्मिक शिक्षा से जुड़े स्कूलों में प्रवेश दिला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अन्य पब्लिक स्कूलों जैसी शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल पाया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बीच में ही छोड़कर बालश्रम के लिये मजबूर होना पड़ता है।''

बालश्रम पर बने अधिनियमों का पालन न करने की परिस्थितियाँ

बाल श्रमिकों के विषय में सामाजिक दृष्टिकोण से संभावित परिवर्तन लाने की कोशिश आजादी के पहले से ही चल रही है। 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई, जिसमें बच्चों को कठिन कार्यों में नियोजित न करने पर सहमति बनी 1020 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई, इसके पहले कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था, जिसमें 7 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम न करने का प्रावधान था। आजादी के बाद तक भी कई कानून बने पहले से ही प्रचलित कानूनों में संशोधन किया गया लेकिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ठीक न होने के कारण बालश्रम का पूर्णरूप से उन्मूलन नहीं हो पाया, बालश्रम आज भी हमारे देश के लिये समस्या बना हुआ है। आर्थिक कारक : हमारे देश में आर्थिक असमानता होने के कारण बालश्रम को प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रतिशत से अधिक परिवार ऐसे है जिनकी मासिक आय निम्न स्तरीय है शोध अध्ययन के दौरान देखा गया है, कि जिन परिवारों में आर्थिक संकट होता है, उन परिवारों के बच्चे स्कूल जाने की उम्र में बालश्रम में लग जाते हैं और जीवनपर्यन्त उन्हें मुक्ति नहीं मिल जाती है, इन बच्चों के परिवारों को रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये बगैर बालश्रम उन्मूलन संभव नहीं।

शिक्षा का अभावः शोध अध्ययन के दौरान पता चला है, कि अधिकतर बाल श्रमिक उन्हीं परिवारों से संबंधित है जिसमें कोई भी सदस्य शिक्षित नहीं है। माता–पिता को ना तो शिक्षा का महत्व पता है, और न ही बालश्रम से बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी, अधिकतर ऐसे परिवार भी हैं, जिन्हें बालश्रम के संबंध में बनाये गये अधिनियमों की जानकारी नहीं है, यहाँ तक की बाल श्रमिकों को काम देने वाले नियोक्ता भी कानूनी जानकारी से दूर हैं।''

पारिवारिक जिम्मेदारियां : बच्चों को माता–पिता से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु होने, शारीरिक रूप से विकलांग होने असाध्य बीमारी में अथवा नशे के आदि होने के परिस्थितियों में अल्प आयु में ही बच्चों के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियों आ जाती हैं, इन परिस्थितियों के चलते बालकों को मजबूरी में श्रम कार्य करने के लिये बाध्य होना पड़ता है, छोटे भाई–बहनों को भी आगे बढ़ने के अवसर न मिलने पर वो भी धीरे–धीरे श्रम कार्य में लग जाते हैं।

लिंग विभेदीकरणः आजादी के 79 वर्ष भी समाज में लिंगभेद की कुरीति समाप्त नहीं हुई, बालकों को तो परिवार को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, जबकि कन्या को पराया धन, अधिकतर देखा गया है कि माताएँ बालक को तो स्कूल भेज देती हैं, लेकिन बालिकाओं को अपने साथ ही घर पर काम पर लगा लेती हैं, दूसरों के घर में बर्तन धुलाने, साफ–सफाई में इन बच्चों को लगाया जाता है।

शासकीय मशीनरी की उदासीनताः बालश्रम रोकने के लिये अस्तिव में आये अधिनियमों का पालन कराने का दायित्व शासकीय मशीनरी पर होता है, लेकिन शासकीय अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन ही रहते हैं। सरकार समय–समय पर बाल मजदूरों की गणना भी कराती है, तो भी सरकार के पास सही ऑकड़े नहीं पहुँच पाते हैं। वर्तमान में जो भी अधिनियम प्रचलित हैं, यदि उनका उचित तरीके से पालन कराया जाये, इसके साथ ही स्कूल की बजाय काम पर भेजने वाले माता–पिता और बाल श्रमिकों के नियोक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये तो बालश्रम उन्मूलन के अच्छे परिणाम सामने आ सकते है।

अधिनियमों का पालन न होने देने में जिम्मेदार कौन ?

बालश्रम उन्मूलन के लिये प्रचलित अधिनियमों और उनके प्रावधानों का पालन न होने में शैक्षणिक, आर्थिक कारणों के साथ परिवार समाज, पूँजीपति एवं व्यवसायी भी जिम्मेदार है, यदि उक्त चारों संस्थायें मिलकर संकल्प लें, तो बालश्रम उन्मूलन अधिनियम का पालन हो सकता है।

परिवारः अधिकांश बालश्रम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ही बालश्रम करने को मजबूर होते है, हालांकि परिवारों की समस्यायें अलग–अलग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश परिवार ऐसे हैं, जो आर्थिक तंगी के चलते परिवार की आय बढ़ाने के लिये बाल श्रमिक को कार्य करने के लिये मजबूर कर देते है। शोध अध्ययन के दौरान पता चला है कि 95 प्रतिशत से अधिक बाल श्रमिकों के परिवारों को यह भी पता नहीं है कि बालश्रम उन्मूलन के लिये कोई अधिनियम प्रचलन में है या नहीं, जिन परिवारों को अधिनियम की जानकारी है भी अगर आधी अधूरी होने के कारण सार्थक परिणाम नहीं आ पाये।

शोध अध्ययन में यह भी पता चला है कि बच्चों को बालश्रम की सबसे अधिक प्रेरणा परिवार से ही मिलती है, इनमें भी बच्चों के सबसे अधिक निकट संबंधी भी माता–पिता, भाई–बहिन चाचा आदि ही बच्चों को स्कूल जाने अथवा खेलने–कूदने की उम्र में बालश्रम पर आने के लिये मजबूर कर देते हैं, इनमें से अधिकांश परिवार ऐसे वातावरण में निवास कर रहे हैं, जहाँ की परिस्थितियों शिक्षा के अनुकूल नहीं है, इसलिये न तो उन्हें शिक्षा का महत्व पता चल पाता है और न ही अधिनियमों की जानकारी मिल पाती है। सरकारी तंत्र की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, सरकार ने औपचारिक तौर पर कानून तो बना दिये है, लेकिन उनका पालन कराने की जानकारी जिन कर्मचारियों पर है वे अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हैं।

समाजः समाज भी परिवार का ही बड़ा रूप है, अतः बालश्रम उन्मूलन के लिये बनाये गये अधिनियमों का पालन न होने देने में जितना जिम्मेदार परिवार है। समाज को बालश्रम अधिनियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, परिवार की ही तरह समाज से भी बच्चों को बालश्रम की प्रेरणा मिल रही है, आवश्यकता इस बात की है कि प्रचलित अधिनियमों की जानकारी शिविरों के माध्यम से समाज के सामने रखी जाये और बालश्रम के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाये, तो अधिनियमों के प्रति जागरूकता पैदा होने से समाज अपनी जिम्मेदारी निभाने में सार्थक भूमिका निभा सकता है।

पूँजीपतिः बाल श्रमिकों के शोषण में औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिकों के निहित स्वार्थो का अत्यधिक महत्व है। पूँजीपति बाल श्रमिकों की मजबूरी का लाभ उठाकर इनके श्रम का वैश्विक शोषण करते है, चूंकि इन बाल श्रमिकों को पेट की भूख दिखाई पड़ती है, इसलिये वे किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट हो चुका है कि बालश्रम के शोषण का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। माता–पिता कठोर परिश्रम करने के बाद भी अपने बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, परिणामस्वरूप बच्चों को छोटी उम्र में ही काम

करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। बालश्रम के शोषण की शुरूआत कुटीर उद्योग धन्धों के पतन से मानी जाती है, हालांकि पूँजीपतियों को बालश्रम अधिनियमों की जानकारी होती है, लेकिन अपने निजी लाभ के लिये वे इनकी परवाह नहीं करते चूँकि बाल श्रमिकों का पक्ष रखने वाला कोई नहीं होता इसलिये अधिकारियों की साठ–गांठ के साथ बालश्रम उन्मूलन के अधिनियमों का उल्लंघन हो रहा है।

व्यवसायी: लघु एवं कुटीर उद्योगों की कमी होने के कारण अधिकतर बाल श्रमिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर ही कार्यरत् हैं अन्यत्र काम न मिल पाने के कारण बाल श्रमिकों को शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण का शिकार होना पड़ता है, पूँजीपतियों की तरह व्यवसायी भी आर्थिक तंगी के शिकार बाल श्रमिकों का शोषण करने में संलग्न है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत बच्चों से काम तो अधिक लिया जाता है परन्तु श्रम के बदले परिश्रमिक बहुत ही कम होता है। शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि व्यवसायियों की बालश्रम उन्मूलन के लिये प्रचलित कानूनों और सजा के प्रावधानों की जानकारी होने के बाद भी शासकीय तंत्र की उदासीनता का लाभ उठा रहे है, चूंकि बाल श्रमिकों की तरफ से कोई शिकायत नहीं होती और न ही बाल श्रमिकों की सुनवाई ही सहजता से हो पाती है, इसलिये व्यवसायी वर्ग बाल श्रमिकों का शोषण कर रहा है। बाल श्रमिकों के पुर्नवास की व्यवस्था के साथ यदि अधिनियम का कढ़ाई से पालन कराया जाये तो अच्छे परिणाम आने की संभावना है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार के सदस्यों द्वारा किये जा रहे कार्य व्यवहार का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक संकट या अन्य कारणों को लेकर माता–पिता के बीच झगड़े शाम को पिता का शराब पीकर आना और पत्नी के साथ तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। आसपास के तत्व भी इसका गलत लाभ उठाते हैं और बाल श्रमिकों को पैसों का लालच देकर काम पर लगा देते हैं। इस तरह मासूम बच्चों का भविष्य नष्ट होने की शुरूआत हो जाती है। परिवार के सदस्य ही बच्चों को बालश्रम के लिये बाध्य कर देते हैं।

बाल श्रमिकों को काम पर भेजने में रिश्तेदारों की अहम भूमिका होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर रिश्तेदार मदद तो नहीं करते बल्कि उल्टे स्कूल में जाने योग्य बच्चों को बालश्रम में लगने के लिये प्रोत्साहित करते है। अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि दलाल और मालिक भी बालश्रम को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। दलाल किस्म के लोग मजबूर परिवार के प्रति झूठी सहानुभूति प्रदर्शित कर बच्चे को बालश्रम में लगाने के लिए तैयार कर लेते है इससे उन्हें कमीशन के रूप में धनराशि मिलती है और एक मासूम जिन्दगी नष्ट हो जाती है दूसरी ओर मालिक भी दुकानों होटलों, ढाबों और गैरिजों पर बालश्रमिकों को रखना ही अधिक पसंद करते है, इसका मुख्य कारण बच्चों से मनमाने समय तक काम लिया जा सकता है और व्यस्क मजदूर की अपेक्षा बाल श्रमिक को मजदूरी की काफी कम देनी पड़ती है, इसके अतिरिक्त भी बाल श्रमिकों पर मालिक का पूरा नियंत्रण रहता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय बढ़ाने के लिये कुछ बच्चे मजबूरीवश और स्वयं की इच्छा के कारण बालश्रम करते हैं चूँकि आर्थिक संकट के रहते बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं इसलिये अभिभावक भी उन्हें बालश्रम के लिये प्रेरित करते हैं साथ ही बच्चों को बालश्रम करने के लिये परिस्थितियाँ बाध्य कर देती है बड़ी आवृत्ति में बाल श्रमिक आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिस्थितियों के चलते बालश्रम के लिये बाध्य ही जाते है, इस दौरान उनकी पढ़ाई–लिखाई प्रभावित होने से उनका मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है और वे अपना भविष्य दाँव पर लगा बैठते हैं।

Author's Declaration:

The views and contents expressed in this research article are solely those of the author(s). The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible for any errors, ethical misconduct, copyright infringement, defamation, or any legal consequences arising from the content. All legal and moral responsibilities lie solely with the author(s).

संदर्भ सूची

1. आहूजा राम सामाजिक समस्याएं रावत पब्लिकेशन जयपुर 2007.
2. भार्गव महेश विशिष्ट बालक एच. पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा.

3. ब्रेक ल्यूरा ई. चाइल्ड डव्हलपमेंट पर्सन प्रिंटसी हाल, नई दिल्ली
4. देवागंन अवदेश क्राइम अंगेस्ट वूमन एंड चाइल्ड के साइबरटेक पब्लिकेशन नई दिल्ली 2003.
5. महाजन धर्मवीर, महाजन कमलेश भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं विवके प्रकाशन दिल्ली 2008
6. श्रीवास्तव, मनीष कुमार कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007 पृष्ठ 16
7. वीरेन्द्र कुमार कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2007 पृ 10.
8. सिन्हा वी.सी., सिन्हा जया औद्योगिक समाज विज्ञान मयूर पेपर बैच्स, दिल्ली 2007
9. सक्सेना एस. पी. श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ 1996.
11. डॉ. जी. आर. मदन समाजकार्य विवेक प्रकाशन पृष्ठ 27.
12. डॉ अशोक पारख नवभारत आर्थिक विश्लेषण 6 जून 2008.
13. गौतम डॉ. सुशाल कुमार कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2007 पृष्ठ 26.
14. शर्मा, जय प्रकाश असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिक में रोजगार, शोध प्रबन्ध 2005, पृष्ठ 11–12.
15. सक्सेना डा. एस. पी. श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा रस्तोगी पब्लिकेशन नई दिल्ली पृष्ठ 155.
16. रोजर्स कार्ल आर. दि क्लीनिकल ट्रीटमेंट आफ दी प्राबलम चाइल्ड बोस्टन मिफ्लीन 1939.
17. अरूण टी. के. चिल्ड्रन आफ ए लेसर गार्ड इकानामिक टाइम्स 28 मार्च 1997.
18. राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रपत्र.
19. सिन्हा वी. सी. एवं सिन्हा पुष्पा श्रम अर्थशास्त्र मयूर पेपर बैच्स दिल्ली 2007
20. देवागंन अवदेश क्राइम अंगेस्ट वूमन एंड चाइल्ड के साइबरटेक पब्लिकेशन नई दिल्ली 2003.
21. सक्सेना स्वाति वर्कशाप एवं गैरेज में कार्यरत बालश्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशाएं अकादमी भोपाल 2004.
22. शास्त्रीय राजाराम समाजकार्य उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान प्रकाशन लखनऊ।

Cite this Article-

'डॉ० रश्मि पाण्डेय' *'असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को प्रभावित करने वाले कारकों का विष्लेषणात्मक अध्ययन', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:07, July 2025.*

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/
DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i70008
Published Date- 05 July 2025